22

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

156/19/225 मुकेश कुमारी बनाम अनुराधा रायपुरिया

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2019/00156 श्री दीपक पारीक श्री गिरीश पारीक	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12.6.19	पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद का अंतिम निस्तारण हो चुका है। यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है इसलिए सारहीन होने से खारिज योग्य होने से खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने जवाब में बताया कि अपीलांट से मेरी कोई बात नहीं हुयी है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद का निस्तारण हो चुका है तो अभिभाषक रेस्पोडेन्ट प्रति पेश करे या न्यायालय चाहे तो अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के कथन के आधार पर अपील को सारहीन कर देवें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद का अंतिम निस्तारण हो चुका है इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है। **अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	